

**कार्यालय : शबनम कदीर मंसूरी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, राजगढ़ म.प्र.**

क्रमांक : २७ / 2024

राजगढ़, दिनांक : ३०-०९-२०२४

**// कार्यालयीन आदेश //**

**माह अक्टूबर-नवम्बर 2024** हेतु जिला मुख्यालय राजगढ़ एवं तहसीलों में न्यायालय भवन में समय दोपहर 03:00 से 05:00 बजे के मध्य निम्नानुसार न्यायिक मजिस्ट्रेटगण अपने समस्त स्टाफ के साथ उपस्थित होकर रिमांड ड्यूटी सम्पादित करेंगे :-

**तहसील ब्यावरा**

1.	श्रीमती रानो बघेल	जे.एम.एफ.सी.	माह अक्टूबर - 6, 9, 19, 20 माह नवम्बर - 15
2.	श्री शुभांशु ताम्रकार	जे.एम.एफ.सी.	माह अक्टूबर - 2, 31 माह नवम्बर - 1, 2, 3
3.	श्री सुधि रंजन बागरी	जे.एम.एफ.सी.	माह अक्टूबर - 27, 28, 29, 30 माह नवम्बर - 10, 24
4.	सुश्री भावना कछावा	जे.एम.एफ.सी.	माह अक्टूबर - 10, 11, 12, 13 माह नवम्बर - 16, 17

**तहसील नरसिंहगढ़**

1.	श्रीमती विमलेश मुडैया	जे.एम.एफ.सी.	माह अक्टूबर - 19, 20, 27, 28, 29, 30, 31 माह नवम्बर - 1, 2, 3, 10
2.	सुश्री स्वाति गोयल	जे.एम.एफ.सी.	माह अक्टूबर - 2, 6, 9, 10, 11, 12, 13 माह नवम्बर - 15, 16, 17, 24

**तहसील सारंगपुर**

1.	श्री रविन्द्र गुप्ता	जे.एम.एफ.सी.	माह अक्टूबर - 19, 20, 27, 28, 29, 30, 31 माह नवम्बर - 1, 2, 3, 24
2.	श्री सजंय जैन	जे.एम.एफ.सी.	माह अक्टूबर - 2, 6, 9, 10, 11, 12, 13 माह नवम्बर - 10, 15, 16, 17

**तहसील जीरापुर**

1.	श्री विनय कुमार तिवारी	जे.एम.एफ.सी.	माह अक्टूबर - 2, 19, 27, 28, 29, 30, 31 माह नवम्बर - 1, 2, 3, 24
2.	श्री भूपेन्द्र कुशवाह	जे.एम.एफ.सी.	माह अक्टूबर - 6, 9, 10, 11, 12, 13, 20 माह नवम्बर - 10, 15, 16, 17

**तहसील खिलचीपुर**

1.	श्री सचिन साहू	जे.एम.एफ.सी.	माह अक्टूबर - 2, 12, 13, 19, 20, 31 माह नवम्बर - 1, 2, 3, 15, 16, 17
2.	सुश्री शिवानी धुर्वे	जे.एम.एफ.सी.	माह अक्टूबर - 6, 9, 10, 11, 27, 28, 29, 30 माह नवम्बर - 10, 24

श्रीमती शबनम कदीर मंसूरी  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
राजगढ़ (ब्यावरा) म.प्र.

**नोट-**

- 1 मजिस्ट्रेटगण द्वारा अवकाश आवेदन प्रस्तुत करते समय आवेदन में इस बात का उल्लेख आवश्यक रूप से किया जावे कि चाही गई अवकाश अवधि के दौरान उनकी रिमाण्ड ड्यूटी है अथवा नहीं।
- 2 सभी मजिस्ट्रेटगण रिमांड ड्यूटी आपस में सामंजस्य कर, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को पूर्व लिखित सूचना देकर समायोजित कर सकेंगे।
- 3 आकस्मिक रूप से घोषित होने वाले अवकाश में उन न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा रिमाण्ड ड्यूटी सम्पन्न की जावेगी जिनकी रिमाण्ड ड्यूटी आकस्मिक घोषित अवकाश के ठीक पूर्व अवकाश में थी। मजिस्ट्रेट यदि चाहें तो इस संबंध में आपस में सामंजस्य कर रिमाण्ड ड्यूटी कर सकेंगे।
- 4 जिला मुख्यालय राजगढ़ पर दिनांक 02.10.2024 की रिमाण्ड चुन्नी रिनन्धा पाठक, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा सम्पादित की जायेगी। इसके अतिरिक्त नाह अक्टूबर-नवम्बर में पड़नेवाले सार्वजनिक अवकाश दिवसों के संबंध मुख्यालय राजगढ़ के संबंध में रिमाण्ड ड्यूटी पृथक से लगाई जावेगी।

(शबनम कदीर नंसूरी)  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
राजगढ़ म.प्र.

पृष्ठांकन क्रमांक ...166.../2024  
प्रतिलिपि:-

राजगढ़, दिनांक 30-09-2024

01. कार्यालय माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, राजगढ़ की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
02. समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, राजगढ़/ब्यावरा/नरसिंहगढ़/सारंगपुर/जीरापुर/खिलचीपुर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
03. पुलिस अधीक्षक, जिला- राजगढ़ की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
04. जिला लोक अभियोजन अधिकारी राजगढ़, को इस निर्देश के साथ प्रेषित के रिमाण्ड ड्यूटी में अभियोजन पक्ष प्रस्तुत करने हेतु सक्षम अभियोजन अधिकारियों के उपस्थित रहने हेतु निर्देशित करें।
05. अध्यक्ष अभिभाषक संघ, राजगढ़/ब्यावरा/नरसिंहगढ़/सारंगपुर/जीरापुर/खिलचीपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

(शबनम कदीर नंसूरी)  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
राजगढ़ म.प्र.